

टेली-फैक्स/Tele-fax - 0522-2720634

दूरभाष/Telephone-0522-2720638

ई-मेल / E-mail: upgdc.eao.soi@surveyofindia.gov.in



सं० 3308 /37-जी-9

दिनांक 09-07-2024

उ०प्र० भू-स्थानिक निदेशालय नेमी आदेश सं० 06 /37-जी-9 दिनांक 09-07-2024

UP GD ROUTINE ORDER NO. 06 /37-G-9 DATED 09-07-2024

1. अनंतिम नियुक्ति (Provisional Appointment)

इस कार्यालय में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती निम्न ग्रुप सी अस्थाई स्थापना में प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए स्वीकृत वेतन लेवल 4 (25500-81100) में मूल वेतन रुपये 25500 प्रति माह एवं अन्य भत्ते सहित उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तिथि से 28-02-2025 तक अथवा ऐसी न्यूनवाधि के लिए जब तक उनकी सेवाओं की आवश्यकता है, अनंतिम आधार पर नियुक्त किया जाता है:-

Following is recruited through the Staff Selection Commission in this office to the post of Upper Division Clerk in Group "C" temporary establishment on the basic pay of Rs. 25500 per month along with other allowances in the sanctioned scale of pay level 4 (25500-81100) for the central govt. employees. Appointment will be purely on provisional basis from the date shown against his name till 28-02-2025 or for such a shorter period as his services are required.

क्र०सं० Sl.No.	नाम / Name	जन्म तिथि / Date of birth	जाति Category	पद जिसपर नियुक्त किया गया Post to which appointed	वेतन मैट्रिक्स Pay Matrix	कार्यालय में उपस्थिति की तिथि Date of joining in the Office
1	श्री मनीष राणा आत्मज श्री ज्ञान चन्द राणा Shri Manish Rana S/o Shri Gyan Chand Rana	16-01-1998	अनुसूचित जनजाति Scheduled Tribe	प्रवर श्रेणी लिपिक / Upper Division Clerk	लेवल-4 Level-4	27-06-2024

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं० स्था०- 47/1011 (संग्रह-35) दिनांक 07-02-2024

- उपरोक्त कर्मचारी की चिकित्सा जाँच सक्षम अधिकारी द्वारा की जा चुकी है तथा सरकारी सेवा के योग्य पाया गया।  
The above employee has been medically examined by the competent authority and found fit for Government service.
- उपरोक्त कर्मचारी के पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन तथा जाति सत्यापन से सम्बंधित दस्तावेज सक्षम अधिकारी को जाँच हेतु भेज दिया गया है। यदि जाँच में कोई कमी पाई गयी तो कर्मचारी की नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।  
The documents related to antecedents and character verification & Caste verification of the above employee have been sent to the competent authority for verification. If any deficiency found, the appointment of the employee will be cancelled.
- उपरोक्त कर्मचारी का वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।  
The pay fixation of the above employee will be done by the concerned head of the office.
- अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नामों डाला जाएगा।  
The additional expenditure involved will be met from the sanctioned budget grant for the year 2024-25 of this office and will be debited to the appropriate head of account.

2. केन्द्रीय सरकार के दिव्यांग कर्मचारी को दिव्यांगता पर दुगुने दर से परिवहन भत्ता (Transport allowance at double the normal rate to the disabled Central Government employee):-

इस कार्यालय के श्री प्रभु राम, एम०टी०एस० को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र सं० 1409/23 दिनांक 10-07-2023 एवं इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर उनके द्वारा कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 11-07-2023 से परिवहन भत्ता दोगुने दर से प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

Shri Prabhu Ram, MIS of this office has been granted transport allowance at double the normal rate w.e.f. 11-07-2023 i.e. the date of submission of application by him in the office, on the basis of disability certificate no. 1409/23 dated 10-07-2023 issued by the Chief Medical Officer, Lucknow and the guidelines issued by the Government of India from time to time in this regard.

- प्राधिकार :-
- अपर महासर्वेक्षक, उ०क्षे० का पत्र सं० प्रशा०-580/11-बी-1/संग्रह-6 दिनांक 20-02-2024।
  - इस कार्यालय का पत्र सं० प्रशा० 2478/5-ए(पी०एफ०) दिनांक 04-06-2024।

i) उपरोक्त कर्मचारी को प्रदान की गयी दोगुने दर से परिवहन भत्ता, इस कार्यालय के पत्र सं० प्रशा०-2478/5-ए(पी०एफ०) दिनांक 04-06-2024 में वर्णित शर्तों के अधीन होगा ।

The transport allowance at double the normal rate granted to the above official will be subject to the conditions mentioned in this office letter No. प्रशा०-2478/5-ए(पी०एफ०) दिनांक 04-06-2024 ।

ii) इस पर अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2024-25 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नामों डाला जाएगा ।

The additional expenditure on this will be met from the sanctioned budget grant for the year 2024-25 of this Office and will be debited to the appropriate Head of account.

### 3. अस्थायी सेवा की निरन्तरता / Continuance of Temporary Service:-

इस कार्यालय के निम्नलिखित अस्थायी ग्रुप 'सी' स्थापना में नियुक्त कर्मचारियों को दिनांक 01-03-2024 से 28-02-2025 तक अथवा ऐसे अन्य आदेश जारी किए जाने तक जो भी पहले हो, उनके पदों पर निरन्तर बने रहने की रवीकृति प्रदान की जाती है :-

The employees appointed in the following temporary Group "C" establishment of this office are allowed to continue on their posts from 01-03-2024 to 28-02-2025 or till such other orders are issued, whichever is earlier :-

क्र०सं० Sl.No.	नाम सर्वश्री/श्रीमती/कु० Name S/Shri/Smt./K.m.	पदनाम Designation	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल Pay level in Pay Matrix	अभ्युक्तियां Remark
1.	श्री राशन कुमार Shri Raushan Kumar	एम०टी०एस० MTS	लेवल/level-1 (18000-56900)	अस्थायी Temporary
2.	श्री राशन कुमार पाण्डेय Shri Raushan Kumar Pandey	एम०टी०एस० MTS	लेवल/level-1 (18000-56900)	अस्थायी Temporary
3.	श्री मुन्ना कुमार Shri Munna Kumar	एम०टी०एस० MTS	लेवल/level-1 (18000-56900)	अस्थायी Temporary
4.	श्री अतुल कुमार Shri Atul Kumar	एम०टी०एस० MTS	लेवल/level-1 (18000-56900)	अस्थायी Temporary

उपरोक्त मामले पर अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस केन्द्र के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नामों डाला जाएगा ।

The additional expenditure on this will be met from the sanctioned budget grant for the year 2024-25 of this Office and will be debited to the appropriate Head of account.

### 4. निधन / Demise :-

इस कार्यालय के श्री प्रभु राम, एम०टी०एस० का दिनांक 18-06-2024 को निधन हो गया ।

Shri Prabhu Ram, MTS of this office passed away on 18-06-2024.

(डी०एन० पाठक)

(D.N. PATHAK)

निदेशक

DIRECTOR

उ०प्र० भू-स्थानिक निदेशालय, लखनऊ

UP GD, LUCKNOW

### वितरण :

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ ।
2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ ।
3. प्रभारी विभागीय वैबसाइट देहरादून को विभागीय वैबसाइट में अपलोड करने हेतु (admn.soi@gov.in) ।
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, देहरादून ।
5. लेखा अनुभाग / अभिलेख अनुभाग, पूर्वी उ०प्र० भू-स्थानिक अॉकड़ा केन्द्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।